



LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Monday, December 02, 2024 / Agrahayana 11, 1946 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Monday, December 02, 2024 / Agrahayana 11, 1946 (Saka)

<u>CONTENTS</u>	<u>PAGES</u>
ORAL ANSWER TO STARRED QUESTION (S.Q. NO. 81)	1 – 30
WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 82 – 100)	31 – 50
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO. 921 – 1150)	51 – 280



सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Monday, December 2, 2024 / Agrahayana 11, 1946 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Monday, December 2, 2024 / Agrahayana 11, 1946 (Saka)

<u>C O N T E N T S</u>	<u>P A G E S</u>
RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	281
PAPERS LAID ON THE TABLE	281 - 304
STANDING COMMITTEE ON CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 1 st to 4 th Reports	304 - 05
STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 56 TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON LABOUR, TEXTILES AND SKILL DEVELOPMENT – LAID Shri Jayant Chaudhary	305
STATEMENT CORRECTING ANSWER GIVEN TO UNSTARRED QUESTION NO. 101 DATED 25.11.2024 RE: INCREASE IN COUNTERFEIT CURRENCY Shri Pankaj Chaudhary	305
ELECTIONS TO COMMITTEES	306
(i) Council of National Institutes of Technology, Science Education and Research (NITSER)	306
(ii) Council of Indian Institutes of Technology (IITs)	306
BILL INTRODUCED Coastal Shipping Bill	307

MATTERS UNDER RULE 377 – LAID	308 - 19
Shri Khagen Murmu	308
Shri Mitesh Patel (Bakabhai)	308
Shri Baijayant Panda	309
Shri Bhartruhari Mahtab	309
Shri Santosh Pandey	310
Shrimati Daggubati Purandeswari	310
Shri Yogender Chandolia	311
Shri P. P. Chaudhary	311
Shri Vijay Baghel	312
Prof. Varsha Eknath Gaikwad	312
Shri Ummeda Ram Beniwal	313
Shri Rahul Kaswan	313
Adv. Dean Kuriakose	314
Shri Pushpendra Saroj	314
Prof. Sougata Ray	315
Shri A. Mani	315
Dr. Alok Kumar Suman	316
Shri Balashowry Vallabhaneni	316
Dr. M.P. Abdussamad Samadani	317
Shri Chandra Prakash Choudhary	317
Shri Rajeev Rai	318
Shri Rajiv Pratap Rudy	319

(1100/RCP/SPS)

(Q. 81)

HON. SPEAKER: Question Hour. Question No.81, Shri G. Lakshminarayana.

... (*Interruptions*)

1100 hours

(At this stage, Adv. Priya Saroj, Dr. M. K. Vishnu Prasad and some other hon. Members came and stood near the Table)

SHRI G. LAKSHMINARAYANA (ANANTAPUR): Thank you Speaker, Sir. Will the Minister of Skill Development and Entrepreneurship be pleased to state the details of the total number of Centres of Excellence for Skill Development established across the country, State-wise, including the sectors they focus on; the details of the number of CoEs operational in each State, district-wise; the details of the number of beneficiaries trained by the CoEs in each State, including the details of placements or employment outcomes; the details of the financial outlay for establishing and maintaining these CoEs along with the funding pattern followed for their operation, whether Government-funded, public-private partnership, etc.; whether there are any proposals to expand or establish additional CoEs in the future across the country especially in Andhra Pradesh; and if so, the details thereof and if not, the reasons therefor? Thank you, Sir. ... (*Interruptions*)

SHRI JAYANT CHAUDHARY: Thank you, Sir. I congratulate the Member of Parliament for asking a very pertinent question. ... (*Interruptions*) The Andhra Pradesh Government has taken substantial steps and given a lot of credence and recognition to the space of skilling. ... (*Interruptions*) I would like to inform the House and the hon. Member that the entire system of giving national recognition to the Centres of Excellence is designed to bring more visibility to impactful, credible institutions. ... (*Interruptions*) We are providing a national recognition to these institutions. The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship issued guidelines in this regard in 2019.

A total of six CoEs have been recognised and given that status by the Ministry. But apart from this, a total of 202 Centres of Excellence have been established with the help of our Sector Skill Councils. ... (*Interruptions*) As you know, there are 36 Sector Skill Councils which are the principal bodies, where we involve the industry. ... (*Interruptions*) In fact, these organisations are led by the industry and they work in coordination under the Ministry as well. ... (*Interruptions*) Out of the 202 CoEs, because the hon. MP asked me about Andhra Pradesh, a total of eight Centres of Excellence have been established in Andhra Pradesh. Thank you. ... (*Interruptions*)

SHRI G. LAKSHMINARAYANA (ANANTAPUR): Sir, my constituency, Anantapur receives sunlight all-round the year and is the home to two major solar parks contributing 62 per cent to the State's renewable energy capacity. ... (*Interruptions*) A world-class energy university is also proposed to be established in Anantapur owing to the region's immense renewable energy potential. ... (*Interruptions*) Under the visionary leadership of Nara Chandrababu Naidu Garu, Andhra Pradesh has recently introduced the AP Integrated Clean Energy Policy, 2024 targeting the generation of 78.5 GW of solar energy and 35 GW of wind energy over the next five years. ... (*Interruptions*)

Given Anantapur's prominent role in renewable energy and its potential to drive the State's ambitious targets, I would like to ask the Minister whether there is a plan to establish a Centre of Excellence for skill development and R&D in renewable energy in Anantapur to create a green workforce and strengthen the clean energy ecosystem. Thank you. ... (*Interruptions*)

SHRI JAYANT CHAUDHARY: I thank the hon. Member. It is true that Andhra Pradesh is a leader in the space of technology with regard to green jobs. ... (*Interruptions*) Since the hon. MP has asked me specifically about the green jobs sector, I would like to inform him that out of the 36 Sector Skill Councils, one of our councils relates specifically to the space of green jobs, and there is a lot of potential. ... (*Interruptions*) For instance, the PM Surya Ghar: Muft Bijli Scheme is targeting one lakh jobs. Our Ministry is

(pp. 4-30)

working in coordination with the Ministry concerned and in consonance with the Scheme. ... (*Interruptions*) Under PMKVY 4.0, we are targeting to create a large number of jobs under the scheme. ... (*Interruptions*) The Green Hydrogen Mission targets six lakh jobs in the value chain, and 50,000 OJT training is also targeted by this Mission. ... (*Interruptions*)
(1105/PS/MM)

Likewise, our Ministry is working in consonance with that scheme as well. ... (*Interruptions*)

Sir, our Green Sector Council has trained 5,82,579 candidates in the space of solar energy, waste management, wind energy, green hydrogen, small hydro, and other green jobs. ... (*Interruptions*)

The hon. MP has asked specifically with regard to setting up of a Centre of Excellence in the State of Andhra Pradesh. I would recommend that the hon. MP can work with the State Government; can identify credible institutions that are active in that space; and can recommend the same to my Ministry. We will follow the due process. ... (*Interruptions*)

(ends)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्रश्न काल आपका समय है। मैं आग्रह करता हूँ कि आप प्रश्न काल को चलने दें। कृपया अपनी-अपनी सीट पर विराजें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1105 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1200/YSH/SMN)

लोक सभा बारह बजे पुनः समवेत हुई।

(श्रीमती संध्या राय पीठासीन हुईं)

...(व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1200 बजे

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

... (व्यवधान)

1200 बजे

(इस समय श्री बी. मणिकम टैगोर, श्री जिया उर रहमान और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

... (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1201 बजे

माननीय सभापति: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नम्बर 2, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी।

... (व्यवधान)

THE MINISTER OF CULTURE; AND MINISTER OF TOURISM (SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the North Central Zone Cultural Centre, Prayagraj, for the year 2022-2023, alongwith Audited accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the North Central Zone Cultural Centre, Prayagraj, for the year 2022-2023.

- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.
- (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the South Central Zone Cultural Centre, Nagpur, for the year 2022-2023, alongwith audited accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the South Central Zone Cultural Centre, Nagpur, for the year 2022-2023.
- (3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRI JAYANT CHAUDHARY): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of Samagra Shiksha Odisha, (Odisha School Education Programme Authority), Bhubaneswar, for the year 2023-2024, alongwith Audited accounts.
- (2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Samagra Shiksha Odisha, (Odisha School Education Programme Authority), Bhubaneswar, for the year 2023-2024.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): सभापति महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मुंबई का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) आईएफसीआई लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) आईएफसीआई लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) माल एवं सेवा कर नेटवर्क, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छ) (एक) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ज) (एक) ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (झ) (एक) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के 30.06.2024 को समाप्त तिमाही के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता की 01.04.2024 से 30.06.2024 तक समाप्त तिमाही के लिए परिसमापक की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ज) (एक) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के 30.09.2024 को समाप्त तिमाही के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता की 01.07.2024 से 30.09.2024 तक समाप्त तिमाही के लिए परिसमापक की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) (एक) अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) नेशनल हाउसिंग बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल हाउसिंग बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का.आ 4253(अ) जो 27 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम,

- 2024 के उपबंधों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) का.आ 4268(अ) जो 30 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मुनाफाखोरीरोधी मामलों की सुनवाई करने के लिए जीएसटी अपीलीय अधिकरण की प्रमुख पीठ को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) का.आ 4269(अ) जो 30 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सीजीएसटी अधिनियम की धारा 171 के अंतर्गत समापन तारीख का उपबंध किए जाने को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) केन्द्रीय माल और सेवा (दूसरा संशोधन) नियम 2024 जो 8 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 626(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) का.आ 4372(अ) जो 8 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सीजीएसटी अधिनियम की धारा 128 की उप-धारा (1) के अंतर्गत तारीख को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) का.आ 4373(अ) जो 8 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय सीजीएसटी अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) का.आ 4374(अ) जो 8 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय शून्य फॉर्म जीएसटीआर-7 को देर से दाखिल करने पर विलंब शुल्क से छूट प्रदान करने को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सा.का.नि. 628(अ) जो 9 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 19.06.2017 की अधिसूचना संख्या 5/2017-केन्द्रीय कर को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) सा.का.नि. 629(अ) जो 9 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 13.09.2018 की अधिसूचना संख्या 50/2018-केन्द्रीय कर को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) सा.का.नि. 713(अ) जो 18 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय महाराष्ट्र और झारखंड राज्यों में

पंजीकृत व्यक्तियों के लिए माह अक्तूबर, 2024 के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी दायर करने की निर्धारित तारीख को आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (ग्यारह) सा.का.नि. 611(अ) जो 8 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 01/2017-केंद्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन करने हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) सा.का.नि. 614(अ) जो 8 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 04/2017-केंद्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन करने हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) सा.का.नि. 617(अ) जो 8 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 11/2017-केंद्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन करने हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौदह) सा.का.नि. 620(अ) जो 8 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 12/2017-केंद्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन करने हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पंद्रह) सा.का.नि. 623(अ) जो 8 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 13/2017-केंद्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन करने हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) संघ-राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) सा.का.नि. 611(अ) जो 8 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 01/2017- संघ-राज्यक्षेत्र कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि. 615(अ) जो 8 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 04/2017- संघ-राज्यक्षेत्र कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सा.का.नि. 618(अ) जो 8 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2017 की

- अधिसूचना संख्या 11/2017- संघ-राज्यक्षेत्र कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सा.का.नि. 621(अ) जो 8 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 12/2017- संघ-राज्यक्षेत्र कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सा.का.नि. 624(अ) जो 8 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 13/2017- संघ-राज्यक्षेत्र कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) संघ-राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (लद्दाख) नियम, 2024 जो 9 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 631(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (8) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सा.का.नि. 613(अ) जो 8 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 01/2017- एकीकृत कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि. 616(अ) जो 8 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 04/2017- एकीकृत कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सा.का.नि. 619(अ) जो 8 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 08/2017- एकीकृत कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सा.का.नि. 622(अ) जो 8 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 09/2017- एकीकृत कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सा.का.नि. 625(अ) जो 8 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 10/2017- एकीकृत कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (9) वित्त अधिनियम (संख्यांक 1) 2024 की धारा 1 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ 3161 (अ) जो दिनांक 06 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका उक्त अधिनियम की धारा 11 से 13 को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (10) 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लेखाओं और वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन:-
- (एक) आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, हनुमानकोंडा
 (दो) आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, कडप्पा
 (तीन) अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, नाहरलागुन
 (चार) आर्यवर्त बैंक, लखनऊ
 (पांच) असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी
 (छह) बंगीय ग्रामीण विकास बैंक, बरहमपुर
 (सात) बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, बडोदरा
 (आठ) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अजमेर
 (नौ) बड़ौदा यू.पी. बैंक, गोरखपुर
 (दस) चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, गुंटुर
 (ग्यारह) छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, नया रायपुर
 (बारह) दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, पटना
 (तेरह) इलाकाई देहाती बैंक, श्रीनगर
 (चौदह) हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मण्डी
 (पंद्रह) जेएंडके ग्रामीण बैंक, जम्मू
 (सोलह) झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक, रांची
 (सत्रह) कर्नाटक ग्रामीण बैंक, बेल्लारी
 (अठारह) कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, धारवाड़
 (उन्नीस) केरल ग्रामीण बैंक, तिरुवनन्तपुरम
 (बीस) मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, पटना
 (इक्कीस) मध्यांचल ग्रामीण बैंक, सागर
 (बाईस) महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, छत्रपति संभाजीनगर
 (तेईस) मणिपुर ग्रामीण बैंक, इंफाल
 (चौबीस) मेघालय ग्रामीण बैंक, शिलांग
 (पच्चीस) मिजोरम ग्रामीण बैंक, आईजोल
 (छब्बीस) नागालैंड ग्रामीण बैंक, कोहिमा
 (सत्ताईस) ओडिशा ग्रामीण बैंक, भुवनेश्वर
 (अट्ठाईस) पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक, हावड़ा

- (उनतीस) प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक, मुरादाबाद
 (तीस) पुदुवाई भरथियार ग्राम बैंक, पुदेचेरी
 (इकतीस) पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला
 (बत्तीस) राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, जोधपुर
 (तैतीस) सत्पगिरी ग्रामीण बैंक, चित्तूर
 (चौतीस) सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक
 (पैतीस) सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, राजकोट
 (छत्तीस) तमिलनाडु ग्राम बैंक, सेलम
 (सैतीस) तेलंगाना ग्रामीण बैंक, हैदराबाद
 (अड़तीस) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला
 (उनचालीस) उत्कल ग्रामीण बैंक, बोलनगीर
 (चालीस) उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार
 (इकतालीस) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर
 (बयालीस) उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, देहरादून
 (तैंतालीस) विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक, नागपुर
- (11) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सा.का.नि. 503(अ) जो 16 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022- केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि. 525(अ) जो 30 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022- केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सा.का.नि. 532(अ) जो 2 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022- केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सा.का.नि. 533(अ) जो 2 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका द्वारा दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या 04/2022- केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सा.का.नि. 534(अ) जो 2 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका द्वारा दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना

- संख्या 10/2022- केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सा.का.नि. 575(अ) जो 17 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022- केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सा.का.नि. 664(अ) जो 24 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची के अध्याय 27 में, उसमें उल्लिखित, कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सा.का.नि. 667(अ) जो 28 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका द्वारा दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 111/2017- केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (12) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सा.का.नि. 516 (अ) जो दिनांक 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी समापन समीक्षा अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में 5 वर्षों के लिए चीन पीआर और कोरिया आरपी से आयातित “क्लोरिनेटेड पोलिविनाइल क्लोराइड रेसिन (सीपीवीसी) चाहे यौगिक के रूप में आगे प्रसंस्कृत हो या नहीं” पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि. 598 (अ) जो दिनांक 27 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर की सिफारिश के आधार पर पांच वर्षों की अवधि के लिए चीन पीआर, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर और यूएसए से उद्भूत या वहां से निर्यातित “ आइसोब्यूटिलीन आइसोप्रीन रबर (आईआईआर)” के आयातों पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सा.का.नि. 599 (अ) जो दिनांक 27 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी नवीन अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में 5 वर्षों के लिए चीन पीआर से उद्भूत या वहां से निर्यातित “सोलर पैनल/मॉड्यूल के लिए एनोडाइज्ड एल्युमिनियम फ्रेम” पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सा.का.नि. 651 (अ) जो दिनांक 21 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना की तारीख से पांच वर्षों की

- अवधि के लिए चीन पीआर से “अनफ्रेम्ड ग्लास मिरर” के आयातों पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सा.का.नि. 655 (अ) जो दिनांक 22 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में 5 वर्षों के लिए चीन पीआर से आयातित “थर्मोप्लास्टिक पोलियूरेथेन (टीपीयू)” पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सा.का.नि. 657 (अ) जो दिनांक 22 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में 5 वर्षों के लिए चीन पीआर से आयातित “सेलफोन ट्रांसपेरेंट फिल्म” पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सा.का.नि. 658 (अ) जो दिनांक 22 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में 5 वर्षों के लिए चीन पीआर से आयातित “सल्फर ब्लैक” पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सा.का.नि. 659 (अ) जो दिनांक 22 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में 5 वर्षों के लिए चीन पीआर से आयातित “आइसोप्रोपाइल एल्कोहोल” पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) सा.का.नि. 683 (अ) जो दिनांक 04 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी नवीन अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में 5 वर्षों के लिए थाईलैंड और वियतनाम से उद्धृत या वहां से निर्यातित “वेल्डेड स्टेनलेस-स्टील पाइप और ट्यूब” पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) सा.का.नि. 695 (अ) जो दिनांक 11 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में 5 वर्षों के लिए चीन पीआर, कोरिया आरपी और थाईलैंड से आयातित ‘इपीक्लोरोहाइड्रिन’ पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) सा.का.नि. 559(अ) जो दिनांक 10 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय (डीजीटीआर) द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में आगे 5 वर्षों के लिए चीन पीआर और वियतनाम से उद्धृत या

- वहां से निर्यातित "वेल्डेड स्टेनलेस-स्टील पाइप और ट्यूब" पर प्रतिकारी-शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) सा.का.नि. 562(अ) जो दिनांक 11 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय (डीजीटीआर) द्वारा जारी समापन समीक्षा अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में 5 वर्षों के लिए चीन पीआर से उद्भूत या वहां से निर्यातित एट्राजिन टेक्निकल पर प्रतिकारी-शुल्क का उद्ग्रहण जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) सा.का.नि. 608(अ) जो दिनांक 4 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 7 जुलाई, 2025 तक इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम से उद्भूत या वहां से निर्यातित "कन्टीन्यूस कास्ट कॉपर रॉड" के आयातों पर प्रतिकारी-शुल्क के उद्ग्रहण को आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (13) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सा.का.नि. 546(अ) जो दिनांक 6 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना सं. 26/2011-सीमा शुल्क को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि. 573(अ) जो दिनांक 13 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय, उसमें उल्लिखित 6 अधिसूचनाओं को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सा.का.नि. 600(अ) जो दिनांक 27 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना सं. 27/2011-सीमा शुल्क को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सा.का.नि. 604(अ) जो दिनांक 30 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विभिन्न अधिसूचनाओं को संशोधित करना है ताकि 01.10.2024 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 2024 के साथ उक्त अधिसूचनाओं के एचएस कोड को संरेखित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सा.का.नि. 660(अ) जो दिनांक 22 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना सं. 27/2011-सीमा शुल्क को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सा.का.नि. 705(अ) जो दिनांक 13 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 30 जून, 2017 की शर्त संख्या

4800 अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना

- (सात) समुद्री कार्गो मैनीफेस्ट और ट्रांसशिपमेंट (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 31 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 531(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका एक शुद्धिपत्र दिनांक 04 सितम्बर, 2024 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 536(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (आठ) सा.का.नि. 663(अ) जो दिनांक 23 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय "सामान्यतया कटे हुए हीरे" पर उद्ग्रहित किये जाने वाले सीमा शुल्क के संबंध में निदेश जारी करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (नौ) समुद्री कार्गो मैनीफेस्ट और ट्रांसशिपमेंट (चौथा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 30 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 679(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (दस) सा.का.नि. 517(अ) जो दिनांक 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 20.10.2023 की अधिसूचना सं. 77/2023-सीमा शुल्क (एन.टी.) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (14) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/195 जो 26 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (भेदिया कारोबार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2022 के प्रभावशील होने की तारीख के रूप में 1 नवम्बर, 2024 को नियत किया गया है।
- (दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शोध विश्लेषक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024 जो 21 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/199 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2024 जो 29 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/201 में प्रकाशित हुए थे।
- (15) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 31 की उप-धारा (3) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉरपोरेशन) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024 जो 30 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/196 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉरपोरेशन) (चौथा संशोधन) विनियम, 2024 जो 29 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/202 में प्रकाशित हुए थे।
- (16) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 27 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और भागीदार) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024 जो 29 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/200 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 29 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) (संशोधन) विनियम, 2024 जो 11 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/जीएन/ 2024/004 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण (भुगतान और निपटान प्रणालियों का अधीक्षण तथा विनियमन के लिए बोर्ड) विनियम, 2024 जो 18 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/जीएन/ 2024/005 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण (सूचीबद्धता) विनियम, 2024 जो 29 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/जीएन/ 2024/006 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण (प्राधिकरण बैठकों के लिए प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2024 जो 29 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/जीएन/ 2024/007 में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र बीमा कार्यालय द्वारा निवेश) (संशोधन) विनियम, 2024 जो 17 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/जीएन/ 2024/008 में प्रकाशित हुए थे।

- (छह) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण (भुगतान और निपटान प्रणालियां) विनियम, 2024 जो 17 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/जीएन/ 2024/009 में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण (बीमा व्यवसाय का पंजीकरण) (संशोधन) विनियम, 2024 जो 17 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/जीएन/ 2024/010 में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण (बाजार अवसंरचना संस्थान) (संशोधन) विनियम, 2024 जो 1 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/जीएन/ 2024/011 में प्रकाशित हुए थे।
- (18) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 11क की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 580(अ) जो 19 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में शीर्ष 9802 को विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (19) केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 9 के उप-नियम (2), नियम 12 के उप-नियम (2) के खण्ड (ख) और उप-नियम (24) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 454(अ) जो 28 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा माल और सेवा कर अपीलीय प्राधिकरण (जीएसटीएटी) में समूह "ख" और "ग" पदों के लिए शास्ति इत्यादि अधिरोपित करने के लिए अनुशासनात्मक/अपीलीय प्राधिकारी और प्राधिकरण नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) धन-शोधन प्रतिषेध अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत धन-शोधन प्रतिषेध (अभिलेखों का संधारण) संशोधन नियम, 2024 जो 19 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 419(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 की धारा 99 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास नियम, 2024 जो 20 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 584(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका एक शुद्धिपत्र 27 सितम्बर, 2024 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 601(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (22) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति: -
- (एक) आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 15 अक्तूबर, 2024 के

- भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.638(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (दो) आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 15 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.639(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (तीन) आयकर (नौवां संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 16 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.645(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (23) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण): -
- (एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (ऋण लिखत) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 7 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफईएमए. 396(3)/2024-आरबी में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर ऋण लिखत) (चौथा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 16 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.3492(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (शमन कार्यवाही) नियम, 2024 जो दिनांक 12 सितंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.566(अ) में प्रकाशित हुए थे।

... (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI KIRTI VARDHAN SINGH): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (Imposition, Collection and Utilization of Environmental Compensation for Stubble Burning) Amendment Rules, 2024 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.690(E) in Gazette of India dated 6th November, 2024 under the sub-section (3) of Section 25 of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021.

- (2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 63 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974:-
- (i) The Water (Prevention and Control of Pollution) (Manner of Holding Inquiry and Imposition of Penalty) Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R.696(E) in Gazette of India dated 11th November, 2024.
 - (ii) G.S.R.703(E) published in Gazette of India dated 12th November, 2024 exempting certain categories of industrial plants, mentioned therein, from application of the provisions of sub-section (1) of Section 25 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.
- (3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 53 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981:-
- (i) The Air (Prevention and Control of Pollution) (Manner of Holding Inquiry and Imposition of Penalty) Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R.701(E) in Gazette of India dated 12th November, 2024.
 - (ii) G.S.R.702(E) published in Gazette of India dated 12th November, 2024 exempting certain categories of industrial plants, mentioned therein, from application of the provisions of sub-section (1) of Section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution Act, 1981.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION; AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH
EASTERN REGION (SHRI SUKANTA MAJUMDAR): Madam, I beg to lay on
the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Information Technology, Senapati, Manipur, for the year 2023-2024.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Information Technology, Senapati,

- Manipur, for the year 2023-2024, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Information Technology, Senapati, Manipur, for the year 2023-2024.
- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Atal Bihari Vajpayee – Indian Institute of Information Technology and Management, Gwalior for the year 2023-2024.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Information Technology and Management, Gwalior, for the year 2023-2024, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Atal Bihari Vajpayee – Indian Institute of Information Technology and Management, Gwalior, for the year 2023-2024.
- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the University of Delhi (Part-I,II & III), Delhi, for the year 2022-2023.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the University of Delhi, for the year 2022-2023, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the University of Delhi, Delhi, for the year 2022-2023.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.
- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Science Education and Research, Pune, for the year 2023-2024.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Science Education and Research,

- Pune, for the year 2023-2024, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of Indian Institute of Science Education and Research, Pune, for the year 2023-2024.
- (6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Management, Amritsar, for the year 2023-2024, alongwith audited accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Management, Amritsar, for the year 2023-2024.
- (7) (i) A copy each of the Annual Reports (Hindi and English versions) of the Central Tribal University of Andhra Pradesh, Vizianagaram, for the years 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 and 2022-2023.
- (ii) A copy each of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central Tribal University of Andhra Pradesh, Vizianagaram, for the years 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 and 2022-2023, together with Audit report thereon.
- (iii) A copy each of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Tribal University of Andhra Pradesh, Vizianagaram for the years 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 and 2022-2023.
- (8) Four Statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.
- (9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Pondicherry University, Puducherry for the year 2021-2022.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Pondicherry University, Puducherry, for the year 2021-2022.
- (10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

- (11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central University of Andhra Pradesh, Anathapuramu, for the year 2022-2023, alongwith audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central University of Andhra Pradesh, Anathapuramu, for the year 2022-2023.
- (12) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (11) above.
- (13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak, for the year 2022-2023.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak for the year 2022-2023, alongwith audited accounts.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak, for the year 2022-2023.
- (14) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (13) above.
- (15) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Guru Ghasidas Vishwavidyalaya University, Bilaspur, for the year 2022-2023.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Guru Ghasidas Vishwavidyalaya University, Bilaspur, for the year 2022-2023, alongwith audited accounts.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Guru Ghasidas Vishwavidyalaya University, Bilaspur for the year 2022-2023.
- (16) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (15) above.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS;
AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND
HIGHWAYS (SHRI HARSH MALHOTRA): Madam, I beg to lay on the Table :-

- (1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 241 of the Insolvency and Bankruptcy Code Act, 2016:-
 - (i) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) (Amendment) Regulations, 2024 published in Notification No. IBBI/2024-25/GN/REG114 in Gazette of India dated 13th August, 2024.
 - (ii) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Inspection and investigation) (Amendment) Regulations, 2024 published in Notification No. IBBI/2024-25/GN/REG115 in Gazette of India dated 24th September, 2024.
 - (iii) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2024 published in Notification No. IBBI/2024-25/GN/REG116 in Gazette of India dated 24th September, 2024.
- (2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 469 of the Companies Act, 2013:-
 - (i) The Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Second Amendment Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R.552(E) in Gazette of India dated 9th September, 2024.
 - (ii) The Investor Education and Protection Fund Authority (Form of Annual Statement of Accounts) Amendment Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R.607(E) in Gazette of India dated 4th October, 2024.
- (3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 64 of the Competition Act, 2002:-
 - (i) The Competition Commission of India (General) Regulations, 2024 published in Notification No. CCI/Reg-

G.R./08/2024-25 in Gazette of India dated 17th September, 2024.

- (ii) The Competition Commission of India (Combinations) Regulations, 2024 published in Notification No. F.No.CCI/CD/Comb.Reg./2024 in Gazette of India dated 9th September, 2024.
- (4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 63 of the Competition Act, 2002:-
- (i) The Competition Commission of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members) Amendment Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R. 544(E) in Gazette of India dated 6th September, 2024.
 - (ii) The Competition (Minimum Value of Assets or Turnover) Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R. 547(E) in Gazette of India dated 9th September, 2024.
 - (iii) The Competition (Criteria of Combination) Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R. 548(E) in Gazette of India dated 9th September, 2024.
 - (iv) The Competition (Criteria for Exemption of Combinations) Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R. 549(E) in Gazette of India dated 9th September, 2024.
- (5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 30B of the Chartered Accountants Act, 1949:-
- (i) Annual Report and Audited Accounts of the Institute of Chartered Accountant of India for the year ending 31st March, 2024 published in Notification No. F.No.1-CA(5)/75/2024 in Gazette of India dated 27th September, 2024 together with a Corrigendum thereto published in Notification No. 1-CA(5)/75A/2024 dated 14th November, 2024.
 - (ii) G.S.R.506(E) published in Gazette of India dated 16th August, 2024, making certain amendments in the Notification No. G.S.R.835(E) dated 4th November, 2015.

- (iii) S.O.4513(E) published in Gazette of India dated 15th October, 2024, making certain amendments in the Notification No. S.O.1591(E) dated 12th April, 2019.
- (6) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 40 of the Cost and Works Accountants Act, 1959:-
- (i) G.S.R.642(E) published in Gazette of India dated 15th October, 2024, making certain amendments in the Notification No. G.S.R.741(E) dated 16th October, 2023.
- (ii) G.S.R.643(E) published in Gazette of India dated 15th October, 2024, making certain amendments in the Notification No. G.S.R.787(E) dated 15th October, 2015.
- (iii) Annual Report and Audited accounts of the Institute of Cost Accountants of India for the year ending 31st March, 2024 published in Notification No. G/20-CWA/9/2024 in Gazette of India dated 27th September, 2024.
- (7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 40 of the Companies Secretaries Act, 1980:-
- (i) The Annual Report and Audited accounts of the Institute of Company Secretaries of India for the year ending 31st May, 2024 published in Notification No. F. No. 104/44/Accts.-1(A) in INTRODUCTION in Gazette of India dated 23rd September, 2024.
- (ii) S.O.4111(E) published in Gazette of India dated 20th September, 2024, making certain amendments in the Notification No. S.O.1118(E) dated 9th March, 2023.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): सभापति महोदया, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) अधिसूचना सं. 29/2024- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जिसे दिनांक 2 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाना है तथा जिसका आशय दिनांक 30 जून 2022 की अधिसूचना संख्या 03/2022- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से लेकर सं. 07/2022- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सं. 9/2022- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सभी को दिनांक 30 जून 2022 को निरसित करना है, ताकि कच्चा पेट्रोलियम और विमान टरबाइन ईंधन (एटीएफ), मोटर स्पिरिट,

सामान्यतया जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है, और हाई स्पीड डीजल ऑयल के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) को हटाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (दो) अधिसूचना सं. 30/2024- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जिसे दिनांक 2 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाना है तथा जिसका आशय 30 जून 2022 की अधिसूचना सं. 10/2022- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और अधिसूचना सं. 11/2022- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अंतर्गत मोटर स्पिरिट, सामान्यतया जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है और हाई स्पीड डीजल ऑयल पर सड़क और अवसंरचना उपकर (आरआईसी) की दर को हटाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

... (व्यवधान)

STANDING COMMITTEE ON CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

1st to 4th Reports

1203 hours

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Madam, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution (2024-2025):-

- (1) First Report on Action Taken by the Government on the Observations/ Recommendations contained in the Thirty-seventh Report of the Committee (Seventeenth Lok Sabha) on the subject "Initiatives in the North-East in the field of Consumer Rights Protection" of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs).
- (2) Second Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Thirty-eighth Report of the Committee (Seventeenth Lok Sabha) on the subject "Functioning of Warehousing Development and Regulatory Authority (WDRA)" of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution).
- (3) Third Report on Action Taken by the Government on the Observations/ Recommendations contained in the Thirty-ninth Report of the Committee (Seventeenth Lok Sabha) on the subject "Regulation of Weights and

Measures with specific reference to Dispensing Machines at Fuel Stations” of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs).

- (4) Fourth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Fortieth Report of the Committee (Seventeenth Lok Sabha) on the subject “Transforming Fair Price Shops” of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution).

**STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF
RECOMMENDATIONS IN 56th REPORT OF STANDING COMMITTEE ON
LABOUR, TEXTILES AND SKILL DEVELOPMENT- LAID**

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRI JAYANT CHAUDHARY): Madam, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 56th Report of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on Implementation of Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion (SANKALP) Project pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

अतारांकित प्रश्न संख्या 101 के दिनांक 25.11.2024 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने हेतु

वक्तव्य

विषय : जाली नोटों में वृद्धि के बारे में

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): सभापति महोदया, मैं 'जाली नोटों में वृद्धि' के बारे में श्री सेल्वागणपति टी.एम., संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 101 के 25.11.2024 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ

... (व्यवधान)

समितियों के लिए निर्वाचन

(i) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों (एनआईटीएसआईआर) की परिषद

शिक्षा मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): सभापति महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ :-

“कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 की धारा 30 की उप-धारा (2) के खंड (ज) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यक्षीन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों (एनआईटीएसआईआर) की परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 की धारा 30 की उप-धारा (2) के खंड (ज) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यक्षीन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों (एनआईटीएसआईआर) की परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

(1205/RAJ/SM)

(ii) Council of Indian Institutes of Technology (IITs)

THE MINISTER OF EDUCATION (SHRI DHARMENDRA PRADHAN): Madam, I beg to move:-

“That in pursuance of clause (k) of sub-section (2) of Section 31 of the Institutes of Technology Act, 1961, the members of this House do proceed to elect, in such manner, as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Council of Indian Institutes of Technology (IITs) subject to the other provisions of the said Act and rules made thereunder.”

... (Interruptions)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : प्रश्न यह है :

“कि प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 31 की उप-धारा (2) के खंड (ट) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यक्षीन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) की परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

COASTAL SHIPPING BILL

1203 hours

THE MINISTER OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS (SHRI SARBANANDA SONOWAL): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to consolidate and amend the law relating to regulation of coastal shipping, promote coasting trade and encourage domestic participation therein, to ensure that India is equipped with a coastal fleet, owned and operated by the citizens of India for its national security and commercial needs, and for matters connected therewith or incidental thereto.

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य श्री मनीश तिवारी जी।

... (व्यवधान)

SHRI MANISH TEWARI (CHANDIGARH): Madam, the House is not in order ... (Interruptions)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य श्री गौरव गोगोई जी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि तटीय पोत परिवहन के विनियमन से संबंधित विधि के समेकन और संशोधन के लिए, तटीय व्यापार की प्रोन्नति के लिए और उसमें घरेलू सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और वाणिज्यिक आवश्यकताओं के लिए भारतीय नागरिकों द्वारा स्वाधिकृत और प्रचालित तटीय बेड़ों से सुसज्जित हो, और उनसे संसक्त और उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Madam, I introduce the Bill.

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

माननीय सभापति : जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामले के अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

Re: Need to revamp and develop Maldaha Airport in West Bengal for defence purposes

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर) : मैं आपके समक्ष अपने क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़ी एक अति महत्वपूर्ण आवश्यकता प्रस्तुत कर रहा हूँ। मालदा जिला भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थित है, जो लगभग 165.5 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यह क्षेत्र रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। मालदा में 1962 में 144 एकड़ भूमि पर एयरपोर्ट का निर्माण हुआ था, परंतु रनवे की लंबाई केवल 1,097 मीटर होने के कारण इसका संचालन नहीं हो सका। वर्तमान में निकटतम कार्यरत सक्रिय हवाई अड्डे बागडोगरा (241 किलोमीटर) और कोलकाता (323 किलोमीटर) की दूरी पर स्थित हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में किसी भी संभावित सुरक्षा खतरे का मुकाबला करने के लिए मालदा एयरपोर्ट का पुनरुद्धार और उसे रक्षा उपयोग के लिए विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। अतिरिक्त, यदि यह स्थल सुरक्षा और रक्षा उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं है, तो अनुरोध है कि क्षेत्र में नई भूमि खोजी जाए। यह प्रयास न केवल सीमावर्ती सुरक्षा बलों की त्वरित पहुँच सुनिश्चित करेगा बल्कि क्षेत्र में रणनीतिक लाभ भी प्रदान करेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मालदा एयरपोर्ट को रक्षा उपयोग के लिए पुनरुद्धारित करने तथा आवश्यकता पड़ने पर नई भूमि की खोज करने हेतु प्रयास किये जाएं।

(इति)

Re: Need to undertake census of illegal immigrants in the country and to deport them to their respective countries

श्री मितेश पटेल (बकाभाई) (आणंद) : देश में अवैध घुसपैठियों के कारण देश में कई तरह की अनावश्यक समस्याएँ हो रही हैं। कई बड़े शहरों में चोरी, डकैती, सांप्रदायिक तनाव, और गंभीर प्रकार की आपराधिक घटनाओं में जांच में इन लोगों का नाम आता रहता है। कई बार तो इनसे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए चुनौती माना गया है। पिछली सरकारों ने राजनीतिक कारणों से घुसपैठियों के द्वारा होने वाली गंभीर समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, न ही उनकी गणना की गयी। आज अवैध घुसपैठियों की कोई निश्चित संख्या देश के लोगों को पता नहीं है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि देश में कितने अवैध घुसपैठिए हैं इनकी संख्या देश को पता होनी चाहिए, इसलिए इनकी गणना की जाए एवं संख्या सुनिश्चित होने पर इनको इनके देश में वापस भेजने की व्यवस्था की जाए।

(इति)

Re: Need to provide financial support to Odisha for development of Green Energy Corridor

SHRI BAIJAYANT PANDA (KENDRAPARA): I would like to draw the attention of the Hon'ble Minister of Power to the need for central financial assistance to support Odisha in building a green energy corridor. Odisha aims to develop 10,000 MW of renewable energy capacity by 2030 and play a crucial role in achieving the vision of One Nation-One Grid by connecting renewable energy projects to the national grid.

Odisha was the first state to implement power sector reforms, ensuring affordable electricity for its citizens. The State Government has already allocated ₹50 crore in its budget to develop the energy corridor for local supply. Additionally, in October 2024, the Single Window Committee approved investment proposals worth ₹4,671.81 crores in the renewable energy sector, underscoring the State's commitment to this transition. Given the scale of investment and its national importance, I urge the Hon'ble Minister to extend financial support to Odisha for the development of the Green Energy Corridor. Central assistance will enable the State to integrate renewable energy into the national grid effectively, aligning with India's larger energy goals. (ends)

Re: Need for construction of an underpass on NH-55 at Radhakishorepur Panchayat in Athagarh block of Cuttack Parliamentary Constituency

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): The residents of Radhakishorepur Gram Panchayat and 10 adjoining Panchayats in Athagarh Block, Cuttack, seek immediate action to address severe public hardships caused by the ongoing four-laning of NH-55. The Residents, including school and college students, are forced to travel over 1 km to access the RD Village Road. This detour at Radhadamodarpur junction increases accident risks, with several fatalities already reported. The domestic animals crossing the elevated NH-55 are frequently killed due to the lack of an underpass. Over the last few months, numerous cattle and goats have died. The project also obstructs wildlife corridors between reserve forests, endangering elephants, deer, and other species. Hence an underpass is essential to ensure safe wildlife movement. I would like to state further that a one-sided service road is being constructed, perceived as wasteful and influenced by private interests, while neglecting public needs and existing approvals for necessary infrastructure on the opposite side. Despite promises made during an on-ground visit by NHAI officials on July 22, 2024, no progress has been observed.

I urge the Government for urgent approval and construction of an underpass at Km 21+562 to resolve these critical issues and ensure public safety, animal welfare, and wildlife conservation. (ends)

Re: Setting up of a Maize Processing Unit in Rajnandgaon Parliamentary Constituency

श्री संतोष पांडेय (राजनंदगाँव) : मक्का प्रसंस्करण मेरे संसदीय क्षेत्र राजनांदगांव के नवीन एवं अनुसूचित जिला मानपुर- मोहला- अम्बागढ़ चौकी पूर्णतः आदिवासी जिला है, जहाँ वनोपज, खनिज की बहुतायत तो है ही वातावरण और जलवायु के अनुकूल मक्का की खेती बहुतायत में की जाती है। किन्तु मक्का की प्रसंस्करण इकाई न होने व बिचौलियों के कारण मक्का उत्पादक कृषको को उनके फसल का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है। उन्हें फसल का व्यापारी व बिचौलियों को औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर होना पड़ता है। उक्त स्थिति से कृषको को उबारने व मक्का खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मक्का प्रसंस्करण इकाई आरम्भ किये जाने की नितांत आवश्यकता है। मक्का से तैयार अन्य उत्पादों की बाजार में बहुत मांग है तथा इसके लिए मार्केटिंग की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अतः मेरा आग्रह है कि राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के जिला मोहला- मानपुर - चौकी में मक्का प्रसंस्करण इकाई स्वीकृत करने का कष्ट करेंगे।

(इति)

Re: Need to develop Rajahmundry in Andhra Pradesh under HRIDAY Scheme

SHRIMATI DAGGUBATI PURANDESWARI (RAJAHMUNDRY): Rajahmundry is one of the major cities in the State of Andhra Pradesh located on the banks of the river Godavari. In its earlier days, it was called 'Rajamahendravaram'. It is a historical city famous for its political, agricultural, literary, economic, social and cultural background. Hence, the city is also known as the "Cultural Capital of Andhra Pradesh". Rajahmundry is also acclaimed as the birthplace of the Telugu language. Adi Kavi Nannayya translated Mahabharata from Sanskrit on this sacred land. Kandukuri Veeresalingam, a great social reformer, walked on this land. Despite its historical and cultural wealth, Rajahmundry has not yet received the recognition it truly deserves. Bestowing the Heritage City status upon Rajahmundry would not only honor its rich legacy but also ensure the preservation and promotion of its numerous cultural landmarks. This status would attract more tourists, boost the local economy, and provide the necessary funds and infrastructure for the conservation of its heritage sites. Therefore, I urge the Central Government to recognize Rajahmundry as a Heritage City and ensure its development through the HRIDAY Scheme. This recognition will preserve our cultural heritage for future generations and showcase the rich history of Rajahmundry on a national and global stage.

(ends)

Re: Need to provide basic civic amenities in residential colonies of North**Delhi**

श्री योगेन्द्र चांदोलिया (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : देश की राजधानी दिल्ली के रजापुर कलां कॉलोनी, भोरगढ़, नरेला, उत्तरी दिल्ली-110040 में निवासियों के लिए बिजली, पेयजल, सीवेज, सड़क और शौचालय ब्लॉक जैसी बुनियादी सुविधाएं पिछले 48 वर्षों से न होने के कारण वहाँ के निवासी नरक जैसा जीवन जी रहे हैं। लगभग 200 परिवार पिछले 48 वर्षों से बिजली, पानी, सीवेज और पुरुषों और महिलाओं के लिए शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं के बिना रह रहे हैं। भारत सरकार द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत 1976 में निवासियों को भूखंड आवंटित किए गए थे। यहाँ के निवासी पिछले 48 वर्षों से बिजली, पानी, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। बिजली कंपनी TPDDL के द्वारा बिजली के खंभे बहुत पहले लगाए गए थे परंतु उनपर विद्युत आपूर्ति आज तक नहीं है। यहाँ के लोग आज भी लालटेन जलाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। महिलाएं पड़ोस के खेतों में शौच के लिए मजबूर हैं। यह अस्वीकार्य है कि यहाँ के नागरिकों को दशकों से बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित रखा गया है। रजापुर कलां कॉलोनी के निवासियों के लिए बिजली कनेक्शन, पेयजल, सीवेज कनेक्शन और शौचालय आदि बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने के लिए संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश जारी करें। (इति)

Re: Need for integration of Artificial Intelligence in governance

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Under PM Shri Narendra Modi Ji's visionary leadership, India's Digital Public Infrastructure (DPI), including platforms like Aadhaar, UPI, and DigiLocker, has revolutionized governance by integrating AI, ensuring efficiency, transparency, and enhanced citizen-centric services. I wish to draw the attention of the Hon'ble Minister of Electronics and Information Technology to the transformative role that Artificial Intelligence (AI) can play in reshaping governance in India. The integration of AI in DPI has enabled multilingual systems, predictive analytics, and better engagement with citizens, making governance more inclusive. AI-driven platforms are now being used to streamline public revenue management, disaster response, and social security schemes. Moreover, AI is proving invaluable in healthcare, agriculture, and education by providing personalized services, predictive insights, and improved service delivery. However, challenges such as fragmented data, infrastructure gaps, and cybersecurity threats remain. To ensure sustained progress, it is crucial to invest in computational infrastructure, build public-private collaborations, and prioritize data privacy and inclusivity. I urge the Hon'ble Minister to continue to support the integration of AI in governance and address the emerging challenges to ensure that AI benefits all citizens, especially in rural and underserved areas. (ends)

**Re: Transfer of land under Bhilai Steel Plant to Government of
Chhattisgarh**

श्री विजय बघेल (दुर्ग) : स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) बोर्ड की 152वीं बैठक दिनांक 10.01.1990 एवं 236वीं बैठक दिनांक 28.11.1997 के माध्यम से भिलाई इस्पात संयंत्र, छत्तीसगढ़ की क्रमशः 290.26 एकड़ एवं 151.46 एकड़ भूमि छत्तीसगढ़ राज्य शासन (वर्तमान में नगर पालिका निगम रिसाली जिला दुर्ग के वार्ड नेवई बस्ती, मरोदा एवं अन्य वार्डों) को हस्तांतरण हेतु सहमति बनी है। उक्त जमीन का हस्तांतरण आज पर्यन्त लंबित है, जिसके कारण मेरे लोकसभा क्षेत्र दुर्ग में असंतोष व्याप्त है। हस्तांतरण के लिए विभाग द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अतः मैं माननीय इस्पात मंत्री से अनुरोध करता हूँ, कि उक्त विषय को तत्काल संज्ञान में लेते हुए यथासंभव आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें।

(इति)

Re: Need to set up International Financial Services Centre in Mumbai

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ (मुंबई उत्तर-मध्य) : महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस जी ने मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) स्थापित करने का वादा किया था, लेकिन यह परियोजना अब तक साकार नहीं है। यूपीए सरकार के 2005 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने मुंबई में क्षेत्रीय वित्तीय केंद्र की योजना बनाई थी। पर्सि मिस्त्री पैनल ने मुंबई को 2020 तक वैश्विक वित्तीय केंद्र बनाने की सिफारिश की थी। बावजूद इसके, 2015 में गुजरात की गिफ्ट सिटी को देश के पहले आईएफएससी के रूप में विकसित किया गया। मुंबई, जो देश की वित्तीय राजधानी है, आईएफएससी के लिए अधिक उपयुक्त स्थान है। आईएफएससी स्थापित करने से महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, और वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) क्षेत्र का विकास होगा। अंतर्राष्ट्रीय निवेशक और संस्थान मुंबई की ओर आकर्षित होंगे, राज्य को वैश्विक पहचान मिलेगी। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने भी दो आईएफएससी की संभावना का जिक्र किया था। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर इस दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि महाराष्ट्र के आर्थिक विकास को गति दी जा सके और देश की वित्तीय क्षमता को और सशक्त बनाया जा सके।

(इति)

Re: Need to restart Border Area Development Programme and include the border districts of Rajasthan in the Vibrant Village Programme

श्री उम्मेदा राम बेनीवाल (बाड़मेर) : देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर में संसदीय क्षेत्र में संचालित सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) योजना को सरकार अंतर्राष्ट्रीय सीमांत क्षेत्र के विकास और आधारभूत सुविधाओं के लिए पुनः चालू करें और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम(वीवीपी) में राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों को शामिल किया जाए, बाड़मेर-जैसलमेर संसदीय क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के कई राज्यों से बड़ा क्षेत्र है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों, संसाधनों के अभाव के कारण आधारभूत सुविधाओं से वंचित यह पिछड़ा सीमांत क्षेत्र है। इस क्षेत्र को इस योजना में शामिल कर पानी, चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, सड़क, आवास,सहित विभिन्न बहुउद्देश्यीय कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 में विशेष बजट स्वीकृत किया जाए।

(इति)

Re: Laying of new railway lines in Churu Parliamentary Constituency

श्री राहुल कस्वां (चुरु) : मेरे लोकसभा क्षेत्र चुरु के आमजन के द्वारा पिछले काफी समय से नई रेल लाइन डाले जाने हेतु मांग की जा रही है, जिसमे मुख्यतः सादुलपुर से श्रीडूंगरगढ़ वाया तारानगर सरदारशहर, सरदारशहर से हनुमानगढ़, सीकर से नोखा वाया बीदासर, फरुखनगर से सादुलपुर वाया पिलानी आदि हैं। ये सभी मार्ग आर्थिक एवं सामरिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण मार्ग हैं, और आजादी के बाद से अभी तक भी रेल सेवा से वंचित हैं। अगर इनका सर्वे करवाकर कार्य शुरू किया जाता है तो क्षेत्र के आमजन के साथ साथ व्यापारियों एवं सैन्य कार्यों हेतु भी यह मार्ग अत्यंत लाभप्रद होगा। क्योंकि इन रेल मार्गों के निर्माण से यह क्षेत्र दिल्ली के अल्टरनेट मार्ग के साथ साथ बोर्डर क्षेत्र से भी सीधा जुड़ सकेगा। पूर्व में भी इन मार्गों का सर्वे किया गया लेकिन रेलवे द्वारा हर बार नेगेटिव ROR बता कर इन मार्गों की स्वीकृति देने से मना कर दिया। अतः मेरा आपसे द्वारा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है की इस क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता देते हुए आमजन के जीवन को लाभप्रद बनाने के लिए नेगेटिव ROR के कंसेप्ट को छोड़ते हुए इन सभी मार्गों का एक बार फिर से सर्वे करवाया जावे।

(इति)

Re: Need to include 'Anchunadu Vellalar' community of Kerala in the Central list of Other Backward Classes (OBC)

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): I represent the Constituency of Idukki in Kerala and there are significant sections of the community belonging to the "Anchunadu Vellalar" Community. They are predominantly residing in Marayoor, Kanthallur, Keezhanthur, Karayur villages of Devikulam Taluk in Idukki District. The Government of Kerala in its Gazette Notification dated 2nd June 2015 had amended the Kerala State and Subordinate Service Rules 1958 to include the "Anchunadu Vellalar" for the purpose of reservation for employment purposes.

With the increasing opportunities of higher education among the community, there is an urgent need for including them in the Central List of OBC's for the State of Kerala for the purpose of reservation for All India Exams like the NEET entrance, UPSC-Civil Services as well as other Central Government Vacancies. I would request you to kindly take steps to include the "Anchunadu Vellalar" community in the Central List of OBC's for the State of Kerala so that the benefits of reservation can be helpful in helping the community to progress in life by way of meaningful employment or accessing quality higher education.

(ends)

Re: Refund of money to people who invested in Sahara India Company

श्री पुष्पेंद्र सरोज (कौशाम्बी) : सहारा इंडिया कंपनी में लगभग 25 वर्षों से अभिकर्ताओं के माध्यम से विभिन्न योजनाओं में जमा धनराशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है जमा कर्ताओं को धनराशि न मिलने से जमाकर्ताओं एवं अभिकर्ताओं के मध्य लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं कतिपय जमाकर्ताओं द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। सहारा इंडिया के कार्य पर प्रतिबंध से लाखों अभिकर्ता बेरोजगार हो गए हैं। उपरोक्त भुगतान के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा एक पोर्टल जारी करके ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भुगतान करने का आश्वासन दिया गया, परंतु एक प्रतिशत ही भुगतान किया गया। अतः कृपया जनहित में सहारा इंडिया की समस्त सोसाइटी/समिति योजनाओं की जमा धनराशि का भुगतान किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या सहारा इंडिया के कार्यालयों के माध्यम से करने के आदेश देने की कृपा करें।

(इति)

Re: Ethnic violence in Manipur

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): The ethnic violence in Manipur, which broke out on May 3, 2023, between the non-tribal Meiteis and the Kuki-Zo tribals, has so far claimed the lives of more than 250 people. From May 3, 2023 Manipur is burning and, in these circumstances, Prime Minister needs to visit Manipur. Government has banned internet and mobile data services in various parts of the State. There was an unprecedented turmoil and complete anarchy prevailing in the State and the Union Government and State Government require to take stringent action against the rioters. The violence also pushed up inflation rate, which is currently at 10%. With schools shut for a long time and a high rate of job loss, these 18 months of violence has affected everyone in the State. The continuing violence caused a division among the people of the country. I urge upon the Prime Minister to visit Manipur and to meet political parties, politicians, civil society groups and people in relief camps there in order to resolve the division between the Meitei and Kuki-Zo communities.

(ends)

Re: Need to provide road connectivity to Kalikarambu forest in Kondarahalli Panchayat of Dharmapuri District, Tamil Nadu under PMGSY

SHRI A. MANI (DHARMAPURI): The Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) Scheme is aimed at providing the all-weather rural roads connecting all eligible unconnected habitation in the rural areas. In response to the long-pending demand of the people of the area to build a road through Kalikarambu forest located in Kondagarahalli Panchayat of Dharmapuri District, Paprirettipatti Block, Dharmapuri Union, we conducted a survey in Kalikarambu Forest. The people of the area have requested that the completion of this project will reduce the journey of the people of Pappireddipatti, Bairnatham, Menasi, thurunjipatti, Bommidi, Manalur, Koppakkarai and its surrounding areas by about 30-km. Hence, I request the Hon'ble Minister for Rural Development to develop a specific sub plan under PMGSY Scheme to provide rural road connectivity under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana to Kalikarambu forest located in Kondagarahalli Panchayat of Dharmapuri District of Tamil Nadu.

(ends)

Re: Need to release financial assistance for construction of Y-line connection at Thawe Junction Railway Station in Gopalganj Parliamentary Constituency

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज) : थावे जंक्शन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ज़ोन में आता है। रेलवे ने भूमि अधिग्रहण करने के बाद मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज (बिहार) में थावे जंक्शन पर Y-लाइन कनेक्शन का काम शुरू किया था। कुछ दूरी तक Y-लाइन ट्रैक कनेक्शन का काम पूरा भी कर लिया गया था। लेकिन बाद में इस थावे जंक्शन का Y- लाइन कनेक्शन का काम आगे नहीं बढ़ा। Y-लाइन कनेक्शन का काम थावे जंक्शन पर रुका पड़ा है तथा अभी तक लंबित है इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है जिसके कारण बहुत सारी लम्बी दूरी की ट्रेनों को साथ साथ मालगाड़ी के परिचालन एवं माल ढुलाई में बाधा उत्पन्न होती है तथा ट्रेनों को आगे की दिशा में जाने के लिए रुकना पड़ता है। इससे ऊर्जा की क्षति होती है तथा साथ साथ रेलवे को रेवेन्यू का भी घाटा होता है। थावे जंक्शन पर Y-कनेक्शन का काम पूरा होने से ट्रैफिक कंजेशन नहीं होगा तथा मालगाड़ी ट्रेन से माल ढुलाई आसानी से हो जाएगी। अतः मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि थावे जंक्शन जैसे महत्वपूर्ण जंक्शन पर Y-लाइन कनेक्शन का काम शुरू करने के लिए यथाशीघ्र वित्तीय सहायता रिलीज की जाए ताकि बंद पड़ा काम शुरू हो सके और क्षेत्र में व्यापार को रेलवे से बढ़ावा मिल सके।

(इति)

Re: Need to increase deadline for completion of Andhra Pradesh Rural Roads Project and also change the funding ratio to 90:10

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI (MACHILIPATNAM): Rural roads really play an important role in overall and holistic development of villages and backward areas. With this very objective in mind, Government of Andhra Pradesh started AP Rural Roads Project in 2018-19 to transform rural connectivity by embarking on mission to construct more than 7,000 kms of roads with help from Asian Infrastructure Investment Bank. But, due to various reasons, APRR Project ran at snail's pace between 2019 and 2024 and could not achieve desired results during this period.

As per agreement with AIIB, deadline of project is 31st December, 2024. After new Government in AP, it assessed the project and came to the conclusion that it is not possible to complete it within the deadline. Hence, I request GOI to extend deadline upto December, 2026. I also appeal to GOI to change the funding ratio from 70%(AIIB) and 30%(GoAP) to 90:10 for better financial flow and project implementation.

(ends)

Re: Need to expedite completion of construction work alongwith provision of essential amenities on National Highway No. 66 in Kerala

DR. M. P. ABDUSSAMAD SAMADANI (PONNANI): I rise to draw the attention of the House to the pressing need to complete the ongoing work on National Highway 66, which serves as a vital arterial road for the region. The delay in the completion of this project has caused severe inconvenience to commuters and local residents. In addition, the absence of essential amenities such as underpasses, flyovers, foot overbridges, and pedestrian crossings pose significant safety risks, especially for children, the elderly, and other vulnerable groups. Traffic congestion and frequent accidents further highlight the urgency of the matter. The areas that need urgent interventions include Puthuponnani, Chamravattam, Theyyangadu Junction, Madirasseri, Mini Pampa, Kuttippuram, Kanhippura, Vettichira, Randathani, Edarikkode, Mele Kozhichena, Venniyur, Kakkad etc which has suffered massive disruption of daily lives. I urge the Ministry of Road Transport and Highways to ensure the timely completion of construction prioritizing the provision of these critical amenities at the earliest. This will not only enhance road safety but also ease the lives of thousands who rely on this highway daily. (ends)

Re: Need to take action against fraudulent travel agents

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी (गिरिडीह) : झारखंड राज्य के 60 से ज़्यादा मज़दूर मलेशिया देश में रोज़गार करने गए थे। लेकिन वहाँ उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है जिस कारण वे वहाँ फँस गए हैं। इन 60 मज़दूर द्वारा लीड मास्टर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन SDN BHD, कंपनी द्वारा अनुबंध पर काम करने हेतु मलेशिया लाया गया परंतु उन्हें 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। उनके परिजन द्वारा उनको वापस लाने के लिए आग्रह किया गया है। मैंने माननीय विदेश मंत्री को इस संबंध में पत्र भी लिखा था और उस पर कार्रवाई करते हुए कुछ दिनों बाद उन मज़दूरों को भारतीय दूतावास में रहने खाने की जगह मिल गई है, जिसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन उसके बाद से काफ़ी समय हो गया है और उन मज़दूरों की समस्या का हल करना ज़रूरी है और उन्हें वापस भारत अपने परिवार के पास लाने की ज़रूरत है और उनके द्वारा किए गए काम का वेतन भुगतान भी कराना ज़रूरी है। और ऐसे कई एजेंट हैं भारत में जो यहाँ से मज़दूर को ज्यादा वेतन देने का वादा करके विदेश ले जाते हैं और फिर उन्हें वहाँ वेतन ही नहीं मिलता। ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। (इति)

... (व्यवधान)

Re: Need to include Bhojpuri language in the Eighth Schedule to the Constitution

श्री राजीव राय (घोसी) : भोजपुरी भाषा हजारों साल पुरानी है, इसकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है और यह बड़ी संख्या में लोगों द्वारा बोली जाती है। ऐतिहासिक रूप से इसे कैथी लिपि में लिखा जाता था, लेकिन 1894 से देवनागरी लिपि ने इसे मुख्य लिपि के रूप में स्थान दिया। भोजपुरी का साहित्य भी समृद्ध है, जिसमें महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन, विवेकी राय और भिखारी ठाकुर जैसे लेखकों की कृतियाँ शामिल हैं। हिंदी के कुछ अन्य प्रमुख लेखक जैसे भारतेन्दु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और मुंशी प्रेमचंद भी भोजपुरी साहित्य से गहरे रूप से प्रभावित थे।

सर, हम सभी जानते हैं कि भोजपुरी एक महत्वपूर्ण भाषा है जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से, बिहार के पश्चिमी हिस्से और झारखंड के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में बोली जाती है, साथ ही यह मॉरीशस, सूरीनाम, फिजी, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबेगो, नेपाल जैसे देशों में भी महत्वपूर्ण प्रवासी समुदायों द्वारा बोली जाती है। अनुमान है कि भारत में 50 मिलियन से अधिक लोग भोजपुरी बोलते हैं, जिससे यह देश की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। इसके अतिरिक्त, अन्य देशों में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या 28.50 लाख से अधिक है।

भोजपुरी फिल्मों में भारत और विदेशों में लोकप्रिय हैं और हिंदी फिल्म उद्योग पर भी इनका प्रभाव पड़ा है। लेकिन अफसोस की बात है कि भोजपुरी को यूनेस्को के भाषा विश्व एटलस में एक संकटग्रस्त भाषा के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जो हिंदी के प्रभाव और सरकार की निरंतर उपेक्षा के कारण है।

भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की लंबित मांग है, ताकि इसे आधिकारिक भाषा का दर्जा मिल सके। उत्तर प्रदेश और बिहार में भोजपुरी को उसका उचित स्थान देने के लिए आंदोलन शुरू किए गए हैं, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि "भोजपुरी" भाषा आज भी संविधान की आठवीं अनुसूची में स्थान नहीं पा सकी है, जबकि सरकार ने इसके लिए वादे किए थे। अनुसूचित दर्जा मिलने से एक भाषा को कई फायदे मिलते हैं। यह भाषा को बढ़ने में मदद करता है और समय के साथ एक प्रभावी संवाद का माध्यम बनाता है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि भोजपुरी को बिना किसी और देरी के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए।

(इति)

Re: Need to ensure mandatory construction of service lanes along all the highways

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): I wish to draw the House's attention to the critical issue of road safety caused by the absence of service lanes and rampant illegal encroachments along National and State Highways. The lack of service lanes forces pedestrians, cyclists, and slower vehicles onto high-speed main carriageways, thereby increasing accidents. Illegal encroachments further narrow the roads, obstruct traffic, and endanger lives. Temporary encroachments often become permanent hampering road expansion and maintenance while worsening congestion. I urge the Government to mandate service lanes along all highways, conduct regular inspections and swiftly remove encroachments from the ROW, impose strict penalties to deter violations, make District Magistrates responsible for implementing the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002, under the Commissioner's supervision, establish clear SOPs for all highway management authorities and allocate specific ROW areas for establishments with dedicated service lanes to ensure traffic flow.

(ends)

माननीय सभापति : मैं सभी माननीय सदस्यों से मैं आग्रह करती हूँ, आप सभी से निवेदन करती हूँ कि सदन को चलने दें।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : काफी माननीय सदस्य कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने वाले थे। पूरे देश के मतदाता हम सभी को देख रहे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : खासकर जो सदन में पहली बार चुनकर आए हैं, वे भी सदन में अपने क्षेत्र की बात रखने वाले थे। मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि सदन की कार्यवाही चलने दें।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 3 दिसंबर, 2024 को प्रातः ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1208 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 3 दिसंबर 2024 / 12 अग्रहायण 1946 (शक)

के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।